बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 145180 पटना, दिनांक 11-4-13

ग्रा0वि0-7(5)-आई0ए0वाई(प्रा0आ0)-23/05(खंड-1)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **अगलगी से बी.पी.एल. परिवारों के क्षतिग्रस्त मकान के पुनर्निर्माण हेतु इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन दिनों अगलगी की अनेकों घटनाऐं होने की सूचना समाचार पत्रों एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त हो रही है । अगलगी घटना में विशेषकर गरीब परिवारों का आवास क्षतिग्रस्त हो जाने से उनके समक्ष आवास की समस्या आ जाती है और उन्हें आवास निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है । इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-86733 दिनांक-04.01.12, पत्रांक-103093 दिनांक-07.05.2012 एवं पत्रांक-144150 दिनांक-03.04.2013 के द्वारा पूर्व में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे । आप अवगत होंगे कि मार्गदर्शिका की कंडिका-4.4.1 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी की स्वीकृति से पीडित परिवारों को सर्वप्रथम आवास के पुनर्निमाण हेतु जिला में उपलब्ध संसाधनों से सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है तथा विस्तृत सूचनाओं के साथ व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने के निमित विभाग को उपलब्ध कराया जाना है । इस मद में जिला के लिए इंदिरा आवास के लिए निर्धारित एलोकेशन का 50% तक की सीमा तक राशि का व्यय किया जा सकता है ।

अत: अनुरोध है कि इन आकस्मिक परिस्थिति विशेष घटनाओं पर व्यक्तिगत घ्यान रखा जाय तथा अगलगी की घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी का संयुक्त समन्वय कराकर मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानो के आलोक में योग्य पीडित परिवारों को आवास के पुनर्निर्माण हेतु बिना विलंब के सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाय तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

कृपया घटना के 7 दिनों के अन्दर निमार्ण कार्य प्रारंभ कराया जाय ताकि पीड़ित BPL परिवारों को राहत मिल सके। यह उल्लेखनीय हैं कि इस प्रावधान में प्रतीक्षा सूची का क्रमांक अप्रांसगिक है । पात्रता का आधार मात्र BPL सूची में नाम होना हीं है । यह अवश्य देख लिया जाय कि प्रभावित परिवार को पूर्व में IAY का लाभ नहीं दिया गया हो, पूर्व से कोई दूसरा पक्का मकान नहीं हो तथा संबधित परिवार का सदस्य स्थायी सरकारी नौकरी में न हो ।

विश्वासभाजन

10.4.13

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 145180 पटना, दिनांक 11-4-13

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि अगलगी की घटनाओं का अपने स्तर से साप्ताहिक अनुश्रवण करने की कृपा जाय ।

10.4.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 145180 पटना, दिनांक 11-4-13

प्रतिलिपि - श्रीमती विजया श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.4.13

सरकार के सचिव